न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 39/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

सेटलमेन्ट विभाग कोटा जिला कोटा राज0

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– पेरोकार सरकार (प्रार्थी की ओर से)
प्रतिनिधि उपस्थित (अप्रार्थी की ओर से)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 11.09.2024

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 626/1018 कुल रकबा 0.25 हैक्टयर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में खाता नम्बर 1 पर राज0 सकार के खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भीमपुरा के उक्त खसरा नम्बरान सेटलमेण्ट पूर्व खसरा नम्बर 457 रकबा 81 बीघा 18 बिस्वा, गैर मुमकिन नदी खातेदार राज0 सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा/अथवा जमाबन्दी 2038–2057 से आराजी मे से ख0न0 626/1018 दर्ज दर्ज नाकाबिल आवंटन/परिवर्तन भूमि थी, को खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आवंटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त ख0न0 626/1018 रकबा 0.25 राज0 सरकार खातेदार जो बिन्दु सं01 में वर्णित को खाते से खारिज कर वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 626/1018 रकबा 0.25 किस्म तीर खातेदार राज0 सरकार को खाते से खारिज कर किस्म गैर मुमकिन नदी राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित। बहस सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर
कोटा

3. पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 626/1018 कुल रकबा 0.25 हैक्टयर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में खाता नम्बर 1 पर राज0 सकार के खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भीमपुरा के उक्त खसरा नम्बरान सेटलमेण्ट पूर्व खसरा नम्बर 457 रकबा 81 बीघा 18 बिस्वा, गैर मुमकिन नदी खातेदार राज0 सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा/अथवा जमाबन्दी 2038–2057 से आराजी मे से ख0न0 626/1018 दर्ज नाकाबिल आवंटन/परिवर्तन भूमि थी, को खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेंणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त ख0न0 626/1018 रकबा 0.25 राज0 सरकार खातेदार जो बिन्दु सं01 में वर्णित को खाते से खारिज कर वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 626/1018 रकबा 0.25 किस्म तीर खातेदार राज0 सरकार को खाते से खारिज कर किस्म गैर मुमकिन नदी राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्रीमान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा